

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्री राजकुमार परमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बागथर बसेड़ी जिला धौलपुर में कार्यरत थे, जिनकी जन्मतिथि 09.06.1961 है, का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 19.03.2018 को स्वर्गवास हो चुका है। श्री परमार की सेवाएं इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.04.2018 के द्वारा समाप्त की जा चुकी है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री राजकुमार परमार के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन /लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

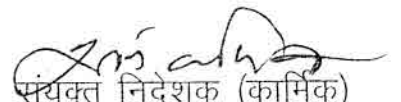
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / मा / संस्था / ए-8 / राजकुमार / 2018

दिनांक : 26-10-18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

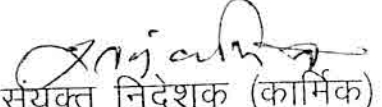
1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, भरतपुर
2. उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, धौलपुर
3. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, भरतपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), धौलपुर
5. कोषाधिकारी, धौलपुर
6. श्री राजकुमार परमार, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) धौलपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रति उनके आश्रित कों तामिल करावें।
7. श्री राजकुमार परमार, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बागथर बसेड़ी जिला धौलपुर
8. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
10. प्रभारी बी-1/II कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

श्री रमेश चन्द पंचोली, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विनायका जिला कोटा जिनकी जन्मतिथि 16.02.1959 का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.01.2018 के द्वारा जारी किया गया था। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन कर इनकी प्रथम नियुक्ति तिथि 24.10.1980 के स्थान पर 24.11.1980 पढ़ी जावे शेष शर्तें मूल आदेश की यथावत रहेगी।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/ए-6/रमेश चन्द/2018

दिनांक : 15/10/18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, कोटा
2. उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, कोटा
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), कोटा
4. श्री रमेश चन्द पंचोली, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विनायका जिला कोटा
5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, विनायका जिला कोटा
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. विजांच/वरिष्ठता अनुभाग/प्रभाग प्रभारी बी-1/11 कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर